प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास
पशुपालन विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग उ0प्र0।
2– समस्त संयुक्त निदेशक, (डी0एफ0एस0) उ0प्र0।
3– अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, पशु जैविक औषधि संस्थान बादशाहबाग, लखनऊ।
4– उपनिदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
5– संयुक्त निदेशक, रजिस्ट्रार, वेटनरी काउन्सिल, लखनऊ।
6– संयुक्त निदेशक, वृहद भेंड़ प्रजनन प्रक्षेत्र भैसोड़ा नौगढ़, चन्दौली।
7– प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बी0के0टी0,लखनऊ।
8– संयुक्त निदेशक, वेटनरी गायना0/वेटनरी पैथाला0, उ0प्र0।
9–संयुक्त निदेशक, एनीमल न्यूट्रीनिस्ट पशु आहार प्रयोगशाला, लखनऊ।
10–संयुक्त निदेशक, संतति परीक्षण योजना, निबलेट बाराबंकी।
11–अधीक्षक, पशुधन प्रक्षेत्र, निबलेट बाराबंकी।
12–संयुक्त निदेशक, भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा।
13–संयुक्त निदेशक (डी0एफ0एस0), मंझरा, खीरी।
14–संयुक्त निदेशक, सघन भेंड़ एवं ऊन विकास प्रायोजना, मीरजापुर।
15–संयुक्त निदेशक, फोरेंसिक लैब, मथुरा।

संख्याः 1202 /स्था0–1/एक–क/11–5/मा0प्र0प्रति0/2016–17 दिनांकः 30-3-16

विषयः– **पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी–1 व 2 के अधिकारियों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन/सेवा विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या–6389/स्था0–1/दिनांक 19.11.2015 एवं पत्र संख्या–1125/स्था0–1/दिनांक 21–3–2016 का अवलोकन करें जिसके द्वारा पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी–1 व 2 के अधिकारियों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन/सेवा विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके स्तर से उक्त अधिकारियों की वांछित सूचना/सेवा विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। वर्ष 2016–17 की स्थानान्तरण नीति शीघ्र निर्गत होने की सम्भावना है। शासन के पत्र संख्या–919/37–1–2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा पशु चिकित्सा संवर्ग के श्रेणी–क एवं ख के समस्त अधिकारियों का सेवा विवरण एवं रिक्तियों की सूचना 03 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके कम में पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी–1 व 2 के संबंध में सेवा विवरण तैयार कर सूचना शासन को प्रेषित की जानी है। आपके स्तर से उक्त श्रेणी के अधिकारियों की सूचना उपलब्ध न कराये जाने के कारण विवरण तैयार किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः उक्त के सन्दर्भ में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में निदेशालय के प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में दिनांक **04–4–2016 को समय 11.00** बजे एक बैठक आयोजित की गयी है जिसमें पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी–1 व 2 के समस्त अधिकारियों की 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर सूचना के साथ किसी भिज्ञ अधिकारी/कर्मचारी को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

1– पशु चिकित्सा समूह 'क' एवं 'ख' का अलग–अलग सेवा विवरण संलग्न निर्धारित प्रारूप पर (पेन ड्राइव एवं हार्ड प्रति सहित) Kruti Dev 010 (Excel में)

2– **मण्डल में 10 वर्ष एवं जनपद में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके श्रेणी–1 व 2 के अधिकारियों के संबंध में अलग सूचना सम्पूर्ण सेवा विवरण/सी0डी0 सहित प्रेषित करें।**

3– पुनर्गठन के पश्चात् श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के पदो का विवरण निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायें।

(क)श्रेणी–1 के पदों का विवरण **श्रेणी–2 के पदों का विवरण**

स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त संख्या	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त संख्या
1	2	3	4	5	6

(ख) जनपद/मण्डल स्तर पर कार्यरत श्रेणी–1 व श्रेणी–2 के ऐसे अधिकारी जो एम0बी0एस0सी0 डिग्री धारक हों, सूचना अलग से निम्न प्रारूप पर अंकित कर प्रेषित करें:–

क0सं0	अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान	ज्येष्ठता कमांक	एम0बी0एस0सी0 डिग्रीधारण का विषय
1	2	3	4	5

4— जनपद / मण्डल में श्रेणी—1 व श्रेणी—2 के रिक्त पदों की सूची, जिसमें रिक्त पशु चिकित्सालयों का स्तर (जनपद / तहसील / ब्लाक / ग्रामीण स्तर) अंकित कर प्रेषित करें।

5— मानसिक रूप से विक्षिप्त कार्मिकों के माता—पिता यदि आपके अधीनस्थ कार्यरत हैं के सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित आख्या।

6— समूह 'क' एवं 'ख' के ऐसे अधिकारी जो मा0 न्यायालय से स्थानान्तरण पर स्थगनादेश प्राप्त कर कार्यरत हैं की अद्यावधिक स्थिति एवं मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति।

7— विकलांग कार्मिको एवं ऐसे कार्मिक जिनके आश्रित पारिवारिक जन विकलांगता से प्रभावित हो,के सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित सूचना।

8— समूह 'क' एवं 'ख' के ऐसे कार्मिक जो अपने गृह जनपद में ही कार्यरत हैं, से सम्बन्धित सूचना।

नोट— यदि किसी अधिकारी को जनपद / मण्डल / संस्था पर सम्बद्ध किया गया हो या उसकी पदस्थापना अन्यत्र हो या फिर कोई अधिकारी मा0 न्यायालय के आदेश के कम में कार्यरत हों तो ऐसे अधिकारी का उल्लेख विशेष रूप से अभ्युक्ति के कालम में किया जाय। अधिकारियों के सेवा विवरण तैयार करते समय विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाय कि सूचना में किसी अधिकारी का विवरण अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण अंकित न किया जाय तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें कि किसी अधिकारी का नाम सूचना में छोड़ा नहीं गया है।

अतः प्रश्नगत वांछित सूचना अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुये निर्धारित तिथि व समय से अभिलेखों सहित बैठक में प्रतिभाग करने हेतु किसी भिज्ञ अधिकारी / कर्मचारी को निर्देशित करने का कष्ट करें। आयोजित उक्त बैठक में प्रतिभाग न करने व सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में, उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने व शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता अपनाये जाने हेतु आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

<u>**संलग्नकः—यथोपरि।**</u>

भवदीय,

30/3/16

(डा0 राजेश बाबू)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास

21/7/2021
30/3/16

संख्याः 1202 / स्था0—1 / एक—क / 11—5 / मा0प्र0प्रति0 / 2016—17 दिनांकित 30/3/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना मण्डलीय अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2— पटल सहायक, श्रेणी—1, मुख्यालय।

3— संयुक्त सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

30/3/16

(डा0 राजेश बाबू)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास

30/3/16

जनपद का नाम माह

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान का स्थान	शैक्षिक योग्यता	ज्येष्ठता कमांक (ज्येष्ठता सूची 2009 के अनुसार)	गृह जनपद	जन्मतिथि	विभाग में नियुक्ति की तिथि	वर्ग का नाम	नियुक्ति तिथि से अब तक का विवरण				अन्य विवरण
									कब से	कब तक	स्थान	जनपद	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ह0---------
उपनिदेशक-------
पशुपालन विभागमुहर-----